



दैनिक जागरण

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE



दैनिक भास्कर

जनसत्ता

Daily

CURRENT AFFAIRS

IAS/PCS

अब होगी कटं अफेयर्स की दाह आसान

19 December



Quote of the Day



दाद हो जाती है
जब मान लिया जाता है,
जीत तब होती है
जब ठान लिया जाता है।



भारतीय कानून में लैंगिंग पूर्ववाद





भारतीय कानून में लैगिंग पूर्वाग्रह

- भारतीय कानूनों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए कई नियम बनाए गए हैं, लेकिन कुछ कानून पुरुषों के खिलाफ पक्षपाती प्रतीत होते हैं।
- इन कानूनों के कारण कई निर्दोष पुरुषों और उनके परिवारों को गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेजा जाता है।





भारतीय कानून में लैगिंग पूर्वाग्रह

- वर्तमान दशक में एक लिंग-निरपेक्ष समाज की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है, जो समानता को सही मायनों में स्थापित करे और किसी भी लिंग के साथ भेदभाव न हो।
- 'लिंग-निरपेक्षता' का अर्थ है ऐसी नीतियां और कानून जो लिंग-आधारित भेदभाव से बचें और पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करें (ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी)।



भारतीय कानून में लैगिंग पूर्वाग्रह

- वर्तमान दशक में एक लिंग-निरपेक्ष समाज की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है, जो समानता को सही मायनों में स्थापित करे और किसी भी लिंग के साथ भेदभाव न हो।
- 'लिंग-निरपेक्षता' का अर्थ है ऐसी नीतियां और कानून जो लिंग-आधारित भेदभाव से बचें और पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करें (ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी)।



भारतीय दंड संविता (IPC) और पुल्षों के प्रति पक्षपाती प्रावधान

- IPC सभी नागरिकों के लिए अपराधों और उनके दंड का विवरण देता है, लेकिन इसका दृष्टिकोण यह मानता है कि सभी हिंसा पुल्षों द्वारा की जाती है।
- कुछ प्रावधान महिलाओं के पक्ष में झुके हुए हैं, जो पुल्षों के खिलाफ झूठे आरोपों के लिए रास्ता खोलते हैं।



महिलाओं के पक्ष में झुके हुए कानून

- धारा 304B (दहेज हत्या): विवाह के सात वर्षों के भीतर महिला की असामान्य मृत्यु और दहेज के लिए प्रताड़ना के मामले में पति या रिश्तेदारों को कम से कम सात साल की सजा।
- धारा 498A (महिलाओं के साथ क्रूरता): पत्नी को पति या रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित करने पर तीन साल तक की सजा। यह गैर-जन्मानन्ती और संजान योग्य अपराध है।



कानूनों के दुष्प्रयोग का असर

- इन कानूनों का दुष्प्रयोग होता है, जहां झूठे आरोपों पर मुकदमा चलता है और आरोपी को दोषी साबित होने तक निर्देष नहीं माना जाता।
- सुप्रीम कोर्ट ने इसे "कानूनी आतंकवाद" कहा है।

2023 → 2 लाख छेस



कानूनों के दुष्प्रयोग का असर

- 2012 में, 2 लाख से अधिक लोग, जिनमें 47,951 महिलाएं शामिल थीं, दहेज के झूठे आरोपों में गिरफ्तार हुए, जबकि केवल 15% आरोपी दोषी पाए गए।
- दहेज प्रताड़ना के कारण आत्महत्या करने वाले विवाहित पुँजीयों की संख्या महिलाओं से दोगुनी है।





न्यायाधीश सलबना का बयान

- पुलिस और **जांच अधिकारियों** को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल मृत्यु होने से यह निष्कर्ष न निकाला जाए कि कोई अपराध हुआ है। ✓
- **44% मामलों** में अभियोजन पूरी तरह अनुचित होता है।
- **इन आरोपों** के कारण सामाजिक और आर्थिक प्रभाव गंभीर होते हैं।




धारा 375 (बलात्कार)

- भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत, बलात्कार करने के लिए पुरुष का होना आवश्यक है और बलात्कार का शिकार होने के लिए महिला का होना आवश्यक है।
- यह धारा पुरुषों को बलात्कार पीड़ित के ढंप में नहीं मानती।



धारा 375 (बलात्कार)

- पुरुषों के लिए यौन अपराधों की एकमात्र धारा 377 (सोडोमी) है, लेकिन इसमें कई समस्याएं हैं।
- पुरुषों के साथ यौन उत्पीड़न की कोई परिभाषा नहीं है, और महिला द्वारा अपराध करने पर पुरुष को न्याय प्राप्त करने का कोई विकल्प नहीं है।



2013 का आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश

- बलात्कार और यौन उत्पीड़न के अपराधों को लिंग-
निरपेक्ष बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन
महिला समूहों के विरोध के कारण ये अपराध लिंग-
विशिष्ट बन गए।
- कुछ का कहना था कि पुरुष कमजोर नहीं होते और
महिलाएं पुरुषों का बलात्कार नहीं कर सकतीं।



CRIMINAL LAW (AMENDMENT) ACT, 2013

पुरुषों पर यौन हमले

- हाल ही में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में 222 पुरुषों में से 16.1% को यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डाला गया था। ✓ 
- पुरुषों का बलात्कार कम अध्ययनित है, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि यह हो रहा है और इसे सामान्य माना जाता है। 

Monograph



बलात्कार की परिभाषा में सुधार

- बलात्कार की परिभाषा को पुनः परिभ्रष्ट करना ज़रूरी है।
- यौन उत्पीड़न को विभिन्न प्रकार की चोटों के आधार पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
- पुरुषों को झूठे आरोपों से बचाने के लिए कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है।



महिलाओं की श्रीलता से संबंधित कानून (धारा 354)

- महिलाओं की श्रीलता की रक्षा के लिए कानून है, लेकिन पुरुषों की श्रीलता की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं है।
- अगर किसी पुरुष को सार्वजनिक स्थान पर महिला द्वारा छेड़ा जाता है, तो उसे सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ता है, बिना अपनी बात रखने का मौका मिले।

IPC 354



जेंडर-निरपेक्ष कानूनों की आवश्यकता

- पुरुषों को भी महिलाओं की तरह समान सुरक्षा विलनी चाहिए।
- जेंडर-निरपेक्ष कानूनों की आवश्यकता है ताकि पुरुषों को भी यौन उत्पीड़न और हिंसा से बचाव मिले।

IPC 354



क्या जेंडर-निरपेक्षता महिला विद्योधी है?

- नहीं, जेंडर-निरपेक्षता महिला अधिकारों की समानता को बढ़ावा देती है।
- महिलाओं को पहले से अधिक कानूनी अधिकार मिल चुके हैं, अब समय है कि पुरुषों के अधिकारों को भी सुनिश्चित किया जाए।



जेंडर-नियंत्रण प्राप्ति करने के उपाय

- कानूनी जागरूकता और समाज में समानता की समझ बढ़ानी होगी।
- महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देने से एक संतुलित समाज स्थापित होगा।



उपराष्ट्रपति ने किया जीएसआई भूविज्ञान संचालन का उद्घाटन

$$(O_F) \div (m)$$





उपराष्ट्रपति ने किया जीएसआई भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्वालियर में अत्याधुनिक जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया।
- यह संग्रहालय विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में स्थित है, जो भूविज्ञान शिक्षा और जन जागरूकता को बढ़ावा देगा। इसमें पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर विज्ञान तथा जीवन के विकास पर आधारित दीघोरे, प्रदर्शनियाँ और सवादात्मक गतिविधियाँ हैं।





उपराष्ट्रपति ने किया जीएसआई भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन


प्रमुख बिंदु:

- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को ग्वालियर में अत्याधुनिक जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे।
- कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सतीश चंद्र दुबे शामिल होंगे।
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और जीएसआई के महानिदेशक असित साहा भी उपस्थित रहेंगे।

भूविज्ञान संग्रहालय

संग्रहालय का उद्देश्य


- संग्रहालय विकल्पोरिया मार्केट बिल्डिंग में स्थित है और भूविज्ञान शिक्षा एवं जन सहभागिता का केंद्र बनने के लिए तैयार है।
- यह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पृथ्वी विज्ञान से जुड़ी घटनाओं और गतिविधियों को प्रदर्शित करेगा।



भूविज्ञान संग्रहालय

संग्रहालय की विशेषताएँ


- संग्रहालय में दो दीघाएँ हैं जो पृथ्वी, वायुमंडलीय और महासागर विज्ञान, तथा जीवन के विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
- इसमें अत्याधुनिक प्रदर्शनियां, संवादात्मक गतिविधियाँ, दुर्लभ भूवैज्ञानिक नमूने और मल्टीमीडिया डिस्प्ले हैं।
- यह संग्रहालय शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, छात्रों और आम जनता को आकर्षित करने में सक्षम है।



भूविज्ञान संग्रहालय

सहयोग और उद्देश्य

- ज्वालियर नगर निगम और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम) के समन्वय से संग्रहालय का विकास हुआ है।
- जीएसआई की यह पहल भूविज्ञान के क्षेत्र में जानकारी बढ़ाने और पृथकी संसाधनों के प्रति जिजासा उत्पन्न करने का प्रयास है।



भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की स्थापना 1851 में रेलवे के लिए कोयला जमा खोजने के उद्देश्य से की गई थी।
- समय के साथ, यह देश में विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक भूविज्ञान जानकारी का एक भंडार बन गया है।
- GSI का मुख्य कार्य नीतिगत नियंत्रण, वाणिज्यिक और सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के लिए तटस्थ, अधिकारी और निष्पक्ष भूविज्ञान विशेषज्ञता और जानकारी प्रदान करना है।



भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)

- यह भारत और इसके अपतटीय क्षेत्रों की सतह और उपसतह भूविज्ञान प्रक्रियाओं का व्यवस्थित रूप से दस्तावेजीकरण भी करता है।
- GSI अपने कार्यों को भूविज्ञान, भौतिक भूविज्ञान और रासायनिक भूविज्ञान सर्वेक्षणों के माध्यम से नवीनतम और सबसे लागत-प्रभावी तकनीकों और विधियों का उपयोग करके करता है।



भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)

- GSI के मुख्य कार्यों में राष्ट्रीय भूविज्ञान जानकारी का निमणि और अध्यतन, और खनिज संसाधन मूल्यांकन शामिल है।
- इसका मुख्यालय **कोलकाता** में है और इसके छह क्षेत्रीय कायलिय लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलौन्ज और कोलकाता में स्थित हैं। प्रत्येक राज्य में एक राज्य इकाई है।
- वर्तमान में, GSI खान मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक कायलिय है।



गवालिपर

प्रद रिंधिया धरने की कम्शुभि

पूर्व ज्यानमंत्री अटल बिटारी नाभिपेची का भन्म स्थान

तानसेन (रामतनु पाण्डे) का भन्मस्थान

तानसेन का मकबरा (अकबर)

मोहम्मद गौस का मकबरा

रानी लखीबाई की स्थानी

नितला सूर्खी फारि (धनधार दस्तियाँ. परानिति)

निकुलता भोज देशिया

किलों का रन

mp
मुरता
गवालिपर

SLINEX 2024





SLINEX 2024

चर्चा में क्यों?

● SLINEX 2024 (श्रीलंका-भारत नौसैनिक अभ्यास) 17 से 20 दिसंबर 2024 तक विशाखापत्तनम में आयोजित होगा। यह अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने, अंतरसंचालनीयता बढ़ाने और सुरक्षित समुद्री वातावरण को बढ़ावा देने के लिए है।





Daily Current Affairs

SLINEX 2024

प्रमुख बिंदुः

● SLINEX 2024 (श्रीलंका-भारत नौसैनिक अभ्यास) 17 से 20

दिसंबर 2024 तक विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान के
तहत आयोजित होगा।




प्रमुख बिंदु:

यह अभ्यास दो चरणों में होगा:

1. हार्बर चरण: 17 से 18 दिसंबर ✓
2. समुद्र चरण: 19 से 20 दिसंबर ✓

● SLINEX अभ्यास की शुरुआत 2005 में हुई थी और यह भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करता है।





SLINEX 2024

प्रमुख बिंदु:

भारतीय दल में शामिल होंगे:

- INS सुमित्रा, पूर्वी बड़े का एक नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल और एक विशेष बल टीम।

श्रीलंकाई दल में शामिल होंगे:


- SLNS सायुरा, एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल और एक विशेष बल टीम।
- उद्घाटन समारोह 17 दिसंबर 2024 को होगा, जो हार्बर चरण की शुरुआत का प्रतीक होगा।



SLINEX 2024

प्रमुख बिंदुः

- हार्बर चरण में, प्रतिभागी पेशेवर और सामाजिक आदान-प्रदान करेंगे, ताकि आपसी समझ को मजबूत किया जा सके।
- समुद्र चरण 19 दिसंबर से शुरू होगा, जिसमें विशेष बल संचालन, बंदूक फायरिंग, संचार अभ्यास, समुद्री अभ्यास, नौवहन अभ्यास और हेलीकॉप्टर संचालन जैसी संयुक्त गतिविधियाँ शामिल होंगी।






SLINEX 2024

प्रमुख बिंदुः

- SLINEX अभ्यास के दायरे में समय के साथ वृद्धि हुई है, जिससे दोनों नौसेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता बढ़ी है और सर्वोत्तम प्रथाएँ साझा की गई हैं।
- 2024 संस्करण का उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत समुद्री संबंधों को और बढ़ाना और सुरक्षित, सुरक्षित और नियम-आधारित समुद्री वातावरण को बढ़ावा देना है।



भारत - श्रीलंका के बीच दिल्लतेः

- भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, और सामरिक संबंधों का लंबा इतिहास है, जो 2500 साल से अधिक पुराना है।
- बौद्ध धर्म का प्रसार: सम्राट् अशोक के पुत्र महिंद्र द्वारा 3वीं शताब्दी BCE में बौद्ध धर्म का श्रीलंका में प्रसार हुआ, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध मजबूत हुए।



भारत - श्रीलंका के बीच दिल्लतेः

- चोल साम्राज्य का प्रभाव: 10वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य ने श्रीलंका पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन उन्होंने कला, वास्तुकला और भाषा पर स्थायी प्रभाव छोड़ा।
- स्वतंत्रता संग्राम: भारत और श्रीलंका ने क्रमशः 1947 और 1948 में ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की, और भारत ने श्रीलंका को लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना में मदद की।



भारत - श्रीलंका के बीच दिक्षेतः:

- तमिल संघर्ष: 1976 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) का गठन हुआ, जो 1983 से 2009 तक श्रीलंकाई सेना से संघर्ष में था। भारत ने 1987 में भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए और भारतीय शांति रक्षक बल (IPKF) भेजे थे।
- राजीव गांधी की हत्या: 1991 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या ने श्रीलंका के साथ भारत के दृष्टिकोण को बदल दिया।



भारत - श्रीलंका के बीच दिल्लतेः

श्रीलंका का महत्व भारत के लिए

- सामरिक स्थिति: श्रीलंका का भौगोलिक स्थान भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
- सैन्य सहयोग: भारतीय नौसेना के लिए श्रीलंका की सामरिक स्थिति महत्वपूर्ण है।



भारत - श्रीलंका के बीच दिल्लतेः

श्रीलंका का महत्व भारत के लिए

- आर्थिक संबंध: भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध हैं, और भारत श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- चीन की उपस्थिति: चीन के श्रीलंका में निवेश और नौसैनिक आधारों के निर्माण से भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हैं।



भारत - श्रीलंका के बीच सहयोग:

भारत-श्रीलंका के सहयोग के क्षेत्र

- आर्थिक सहयोग: 2000 में भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (ISFTA) के तहत व्यापार बढ़ा है।
- संस्कृतिक संबंध: बौद्ध धर्म दोनों देशों के संबंधों का एक मजबूत स्तंभ है।



भारत - श्रीलंका के बीच सहयोग:

भारत-श्रीलंका के सहयोग के क्षेत्र

- विकास सहयोग:** भारत श्रीलंका को 3 बिलियन डॉलर से अधिक की विकास सहायता प्रदान करता है।
- सुरक्षा सहयोग:** दोनों देश रक्षा क्षेत्र में आपस में सहयोग करते हैं, और संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं।



भारत - श्रीलंका के बीच दिक्षेतः

भारत-श्रीलंका संबंधों में चुनौतियां

- चीन की बढ़ती उपस्थिति: श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत की सुरक्षा चिंताएं।
- मछुआरों का मुद्दा: भारतीय मछुआरों के श्रीलंका के जल क्षेत्र में घुसने से तनाव।



भारत - श्रीलंका के बीच दिक्षेतः

भारत-श्रीलंका संबंधों में चुनौतियां

- तमिल जनसंख्या के अधिकार: तमिलों के अधिकारों को लेकर श्रीलंका में विवाद।
- राजनीतिक अस्थिरता: श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता ने द्विपक्षीय सहयोग को प्रभावित किया है।



भारत - श्रीलंका के बीच सहयोग:

भारत की सहायता श्रीलंका को 2022 के आर्थिक संकट में

- आवश्यक वस्त्रों की आपूर्ति: भारत ने आवश्यक दवाइयों और वस्त्रों की आपूर्ति बढ़ाई। ✓
- सुरक्षा सहयोग: भारत ने श्रीलंका को रक्षा सहायता प्रदान की।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: भारत ने श्रीलंका में ऊर्जा और परिवहन परियोजनाओं के लिए निवेश किया।

भारत - श्रीलंका के बीच सुधार:


भारत-श्रीलंका संबंधों में सुधार के उपाय:

- मछुआरों के मुद्दे का समाधान: द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से
इस समस्या का समाधान।
- व्यापार समझौता: भारत और श्रीलंका के बीच व्यापक
आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) पर हस्ताक्षर।


भारत - श्रीलंका के बीच सुधार:

भारत-श्रीलंका संबंधों में सुधार के उपायः

- संस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा: पारंपरिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना।
- फैटी सेवाएं शुरू करना: दोनों देशों के बीच लोगों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए



राजनीतिक दलों के लिए POSH Act





राजनीतिक दलों के लिए POSH Act

चर्चा में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में राजनीतिक दलों पर Prevention of Sexual Harrasment at workplace (POSH) अधिनियम लागू करने की मांग की गई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग (ECI) से संपर्क करने का निर्देश दिया।

of
off.

कोलकाता
एक lady सॉ. के
भाष नलामाई





राजनीतिक दलों के लिए POSH Act

प्रमुख बिंदु:

● POSH अधिनियम का दायरा: यह अधिनियम महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए लागू है। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, अस्पताल, खेल स्थल, और "रोजगार के दौरान" दौरे वाले स्थान शामिल हैं।



राजनीतिक दलों के लिए POSH Act

प्रमुख बिंदु:

राजनीतिक दलों पर अधिनियम लागू करने की कठिनाईः

- राजनीतिक दलों में "नियोक्ता-कर्मचारी संबंध" की स्पष्टता नहीं है।
- ये दल निजी उद्यम या संस्थान के रूप में वर्गीकृत नहीं होते।
- "कार्यस्थल" की परिभाषा राजनीतिक दलों के लिए अस्पष्ट है।



राजनीतिक दलों के लिए POSH Act

प्रमुख बिंदु:

राजनीतिक दलों पर अधिनियम लागू करने की कठिनाईः

- पहले के कानूनी निष्कर्षः 2022 में केरल उच्च न्यायालय ने कहा था कि राजनीतिक दलों पर ICC (आंतरिक शिकायत समिति) बनाने की जिम्मेदारी नहीं है।

POSH एक्ट के मुख्य प्रावधान

यौन उत्पीड़न की परिभाषा:

- अवांछित शारीरिक,
सौखिक/गैर-सौखिक
व्यवहार, यौन संबंधों की मांग, अद्लील
टिप्पणियाँ, पोर्नोग्राफी दिखाना शामिल।



POSH एक्ट के मुख्य प्रावधान

पांच स्थितियां जो यौन उत्पीड़न मानी जाएंगी:

1. रोजगार में लाभ देने का वादा। *रोजगारी का लाभ देने का वादा*
2. नुकसान पहुंचाने की धमकी।
3. वर्तमान या भविष्य के रोजगार पर असर डालने की धमकी।
4. कार्य में बाधा या डराने-धमकाने वाला माहौल।
5. अपमानजनक व्यवहार जो स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करे।



POSH एक्ट के मुख्य प्रावधान

कर्मचारी की परिभाषा:

- सभी महिला कर्मचारी (स्थायी, अस्थायी, संविदा,
प्रतिक्षु, दैनिक मजदूरी) शिकायत दर्ज करा
सकती हैं।

कार्यस्थल की परिभाषा:

- पारंपरिक कायलियों के अलावा टेली-कम्यूटिंग
और कार्य से जुड़े स्थान भी शामिल।



POSH एक्ट के मुख्य प्रावधान

आंतरिक रिकायत समिति (ICC) और स्थानीय समिति (LC):

- 10 से अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ता को ICC बनाना अनिवार्य।

ICC की संरचना:

- एक महिला अध्यक्ष (वरिष्ठ स्तर की)।
- दो कर्मचारी सदस्य (सामाजिक कार्य या कानूनी जान वाले)।
- एक बाहरी सदस्य (NGO से)।
- प्रत्येक जिले में LC बनाना अनिवार्य।



POSH एवं के बुद्ध्य प्राप्तिका

ICC और LC की भूमिका:


- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत जांच करना।
- पीड़िता 3-6 महीने के भीतर शिकायत दर्ज कर सकती है।

विवाद समाधान के दो तरीके:

- सुलह (वित्तीय समझौता नहीं)।
- जांच कर उचित कार्रवाई।



राम प्रसाद बिस्टोल के बारे में




1



राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में

- जन्म: 11 जून 1897, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश।
- शिक्षा: हिन्दी, उद्धृत संस्कृत और अंग्रेजी में निपुण।
- प्रारंभिक जीवन: बाल्यकाल से ही देशभक्ति और क्रांति की भावना से प्रेरित।





राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में

स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

- हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के संस्थापक सदस्य।
- काकोरी कांड (1925) के मुख्य योजनाकार।
- ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने के लिए धन एकत्रित करने हेतु ट्रेन लूट का आयोजन।



राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में

साहित्यिक योगदान

- क्रांतिकारी साहित्यकार; सरफरोशी की तमन्ना और अन्य देशभक्ति कविताओं के लेखक।
- मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे गीत लोकप्रिय।]
- कई लेख और पुस्तकें लिखीं, जिनमें कैथराइन और स्वदेशी रंग प्रमुख।



राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में

गिरफ्तारी और फांसी

- काकोरी कांड में गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चला।
- 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई।



राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में


विरासतः

- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में अग्रणी।
- उनकी शहादत देशभक्ति और बलिदान की मिसाल बनी।



अशफाकउल्ला खां के बारे में

- जन्म: 22 अक्टूबर 1900, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश।
- धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि: मुस्लिम परिवार में जन्मे,
लेकिन हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतीक बने।
- दोस्ती: राम प्रसाद बिस्मिल के घनिष्ठ मित्र और स्वतंत्रता
संग्राम में उनके सहयोगी।





अशफाकउल्ला खां के बारे में

स्वतंत्रता संग्राम में योगदान:

- हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के सक्रिय सदस्य।
- काकोरी कांड (1925) में प्रमुख भूमिका निभाई।
- ट्रेन लूटकर ब्रिटिश सरकार के खजाने को निशाना बनाने की योजना में शामिल।



अशफाकउल्ला खां के बारे में

- जन्म: 22 अक्टूबर 1900, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश।
- धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि: मुस्लिम परिवार में जन्मे, लेकिन हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतीक बने।
- दोस्ती: राम प्रसाद बिस्मिल के घनिष्ठ मित्र और स्वतंत्रता संग्राम में उनके सहयोगी।



अशफाकउल्ला खां के बारे में

गिरफ्तारी:

- छिपते हुए कई महीनों तक फरार रहे।
- बाद में पुलिस ने उन्हें **गिरफ्तार** कर लिया।

न्यायिक प्रक्रिया:

- काकोरी कांड में दोषी ठहराए गए।
- ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मौत की सजा सुनाई।



अशफ़ग़कउल्ला खां के बारे में

शहादत:

- 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई।


विरासत:

- हिंदू-मुस्लिम एकता और देशभक्ति के प्रतीक।
- उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी।
- राष्ट्रभक्ति के प्रति उनका समर्पण आज भी प्रेरणा का स्रोत है।



रोशन सिंह के बारे में

- जन्म: 22 जनवरी 1892, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। ✓
- पृष्ठभूमि: एक साधारण किसान परिवार में जन्मे, बचपन से ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का स्वभाव।





रोशन सिंह के बारे में

स्वतंत्रता संग्राम में योगदान:

- पहले असहयोग आंदोलन में भाग लिया और ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रहे।
- आंदोलन समाप्त होने के बाद **हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA)** से जुड़े।



रोशन सिंह के बारे में

काकोरी कांड (1925):

- ट्रेन लूट की योजना में सीधे शामिल नहीं थे, लेकिन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य होने के कारण गिरफ्तार किए गए।
- उनके ऊपर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया गया।



रोशन सिंह के बारे में

गिरफ्तारी और न्यायिक प्रक्रिया:

- काकोरी कांड के मुकदमे में उन्हें दोषी ठहराया गया।
- ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई।

शहादत:

- 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल और अशफ़ाकउल्ला खान के साथ फांसी दी गई।



रोशन सिंह के बारे में

विरासतः

- स्वतंत्रता संग्राम के अनसंग हीरो, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के देश की आजादी के लिए बलिदान दिया।
- उनकी शहादत ने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया और स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती दी।

Thank You